



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 फरवरी, 2004

फाल्गुन 8, 1925 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 385/सात-वि-1—1 (क)-11-2004

लखनऊ, 27 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा संक्षिप्त नाम

जायगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2
सन् 1916 की धारा
48 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

“(2-क) जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाए, आयोजित किसी जांच में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का निष्पादन और निर्वहन करने से प्रविरत रहेगा, जिनके, जब तक वह उपधारा (2) के अधीन उसे जारी की गई कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से वियुक्त नहीं कर दिया जाता है, प्रयोग और निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट या उसके नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी जो उप कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न हो, द्वारा किया जाएगा।”

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 48 में वर्णित आधारों पर दोषी किसी नगर पालिका के अध्यक्ष को हटाये जाने का उपबन्ध है। उक्त धारा में राज्य सरकार को सशक्त किया गया है कि वह अध्यक्ष को हटाये जाने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करे। अधिकतर अध्यक्ष कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने में विलम्ब कर जांच को लम्बित रखते हैं और उक्त अवधि में अपने वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जांच की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान उन्हें, उनके वित्तीय अधिकारों से प्रविरत रखा जाय और उनके वित्तीय शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग व सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तब तक किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से वियुक्त न कर दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 385(2)/VII-V-1-1 (KA)-11-2004

Dated Lucknow, February 27, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Palika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2004.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 6 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2004..

2. In section 48 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, after sub-section (2) the following sub-section shall be inserted, namely :-

Amendment of
section 48 of U. P.
Act no. 2 of 1916

“(2-A) Where in an inquiry held by such person and in such manner as may be prescribed, if a President or a Vice-President is *prima-facie* found to be guilty on any of the grounds referred to in sub-section (2), he shall cease to exercise, perform and discharge the financial and administrative powers, functions and duties of the President or the Vice-President, as the case may be, which shall, until he is exonerated of the charges mentioned in the show cause notice issued to him under sub-section (2), be exercised and performed by the District Magistrate or by an officer nominated by him not below the rank of the Deputy Collector.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 48 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. 2 of 1916) provides for the removal of President of a municipality. In the said section the State Government is empowered to issue show-cause notice to the guilty President on the grounds mentioned under section 48, before removing him from his office. Most of the Presidents used to delay the proceedings by not replying the show-cause notice in time and they continue to misuse their financial powers. It has therefore been decided to amend the said Act to cease the financial powers of such President or a Vice-President during the pendency of the inquiry and his financial powers and functions will be exercised and performed by the District Magistrate until he is exonerated of the charges.

The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,

R. B. RAO,

Pramukh Sachiv.